न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 62/24 **निर्णय दिनांकः- 5.08.2025**
जीसीएमएस संख्या–2024/421

1. रेवन्तनाथ पुत्र नानूनाथ जाति सिद्ध निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. मंदिर श्री पालाजी, पूनरासर शाश्वत नाबालिग जरिये महन्त (पुजारी) प्रेमनाथ पुत्र पूर्णनाथ जाति सिद्ध निवासी पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 18–07–2024
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री हरिश मदान, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यानारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 18–07–2024 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके राही पूनरासर में खसरा नम्बर 614 तादादी 20.0600 हैक्टेयर खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत जाकर ताफैसला वाद आराजी जैर के मौक व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये गये है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मंदिर श्री पालाजी का महन्त (पुजारी) श्री रतनदास जी थे, रतनदास जी पुत्र पूर्णदास जी एवं पूर्णदास जी के दो पुत्र ज्ञानदास व मानदास हुए। अपीलांट मंहत स्वर्गीय रामदास जी के वंशज है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ज्ञानदास जी का वंशज है। मंदिर श्रीपालाजी, पूनरासर के नाम रोही पूनरासर में स्थित है। मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है इसलिए जरिये महन्त दावा प्रस्तुत किया गया है एवं वादी मंदिर की सेवा चाकरी मंदिर संपति की देखभाल श्री पालाजी महाराज की मूर्ति की तरफ से पुजारी प्रेमनाथ कर रहा है। मंदिर के पास खसरा नम्बर 614 रोही पूनरासर के अलावा पूनरासर में और भी कई खसरान की जमीन है। खसरा नम्बर 614 तादादी 20.0600 हैक्टेयर भूमि की देखभाल सारसंभाल भी मूर्ति पालाजी की तरफ से प्रेमनाथ ही कर रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मंदिर श्री पालाजी का अकेला पुजारी नही है। अपीलांट भी पूजारी है। उक्त मंदिर में सभी वारिसानो का बारी–बारी के अनुसार पुजा पाठ करने का एवं मंदिर की संपति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। उन्होने आगे बताया कि पालाजी महाराज की खातेदारी खेत रोही ग्राम पूनरासर में 46 खसरे की कुल तादादी 416.5300 हैक्टेयर है जिसमें खसरा नं. 614 तादादी 20.0600 हैक्टेयर है उक्त खसरा की देखभाल सारसंभाल अपीलांट कर रहा है। इसी प्रकार 46 खसरो की मंदिर की भूमि पर काश्त मंहत (पुजारी) मानदास जी वंशज एवं ज्ञानदास के वंशज अलग अलग करते आ रहे है। रेस्पोडेन्ट का कोई लेना देना नही है नाही प्रेमनाथ पुत्र पूर्णनाथ पुजारी को अन्य पुजारियों के विरूद्ध वाद लाने का कोई अधिकार नही है। उन्होने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 614 तादादी 20.

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

0600 हैक्टेयर पर कोई कब्जा नही है उक्त कृषि भूमि पर शुरू से ही अपीलांट एवं उसके पूर्वज मंदिर के लिए कब्जा काश्त पुजारी की हैसियत से करते आ रहे है। जिसकी बाबत ग्राम पंचायत पूनरासर का एक प्रमाण पत्र भी पेश किया है। अपीलांट द्वारा खसरा नं. 614 तादादी 20.0600 हैक्टेयर भूमि पर कुआं खुदवाया जा चुका है। उक्त कुआ में बिजली का कनेक्शन मंदिर के नाम पर लिया जा रहा है और अपीलांट द्वारा 68800 रूपये भी मंदिर के नाम से जमा करवा दिये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर किये बिना ताफैसला वाद राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है जो कि कानून के खिलाफ है।

उन्होने आगे कथन करते हुए कहा कि अपीलांट द्वारा मंदिर की भूमि को उपजाउ बनाने के लिए उस पर लाखो रूपये लगा कर जमीन को सुधारा है तथा अब बिजली कनेक्शन मंदिर भी मंदिर के नाम का लिया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की बातो पर विश्वास करते हुए एवं मंदिर का एकमात्र पुजारी मानते हुए आदेश पारित किया जो विधि सम्मत नही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायाय के समक्ष बिजली विभाग की रसीदे/बिजली बिल पेश किये है जिसमें स्पष्ट रूप से नाम के आगे मंदिर श्री पालाजी महाराज पुजारी श्री रेवन्तनाथ लिखा गया है। इन तथ्यों को गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश पारित किये है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया है जो तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ द्वारा जारी किया गया है जिसमें पुजारी रेवन्तनाथ पुत्र नानूराम जाति सिद्ध निवासी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ द्वारा विद्युत कनेक्शन लेने पर राजस्व विभाग को कोई आपति नही है। इस तथ्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांट का ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। इस सभी तथ्यों से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिकॉडेड स्थिति कि खसरा नं. 614 पर पूजारी प्रेमनाथ का कब्जा काश्त नही है। उक्त खसरे पर अपीलांट रेवन्तराम जो कि मंहत है उसका कब्जा काश्त है। केवल मात्र द्वेषता रखने के कारण मंदिर की जमीन को उपजाउ ना करने देने की नियत से तथा आर्थिक नुकसान कारित करने के आशय से झुठा दावा अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। काननू का सिद्धान्त है कि जहां किसी प्रकार से मंहत का कब्जा काश्त नही हो वहां स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को गौर ना करके आदेश पारित किया है। मंदिर श्री पालाजी पूनररासर की तरफ से केवल रेस्पोडेन्ट को वाद पेश करने का अधिकार नही है। अपीलांट स्वयं महंत है। अपीलांट किसी भी पकार से मंदिर श्री पालाजी पूनरासर के हितो के विपरीत कार्यवाही नही कर रहा है अपितु रेस्पोडेन्ट मंदिर के हितो के विपरीत कार्य करके मंदिर को नुकसान कारित करने की नियत से कार्यवाही की है।

लिहाजा अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत सीसीसी 2000(1) पेज संख्या 266, सीसीसी 1997 पेज संख्या 245 पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि मंदिर श्रीपालाजी, पूनरासर के नाम रोही पूनरासर में स्थित है। उक्त मंदिर का एकमात्र पूजारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 है। मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है इसलिए जरिये महन्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है एवं वादी मंदिर की सेवा चाकरी मंदिर संपति की देखभाल श्री पालाजी महाराज की मूर्ति की तरफ से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कर रहा है। अपीलांट बहुत ही चालाक शातिर व मुकदमा बाज और झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है। जिसने मंदिर श्रीपालाजी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 614 पर कब्जा करने की नियत से इस खेत में घुसकर ट्युबवैल खोदने के लिए मशीन लगा दी है। अपीलांट की नियत मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा ट्युबवैल खुदवाने के लिए ना तो बिजली विभाग में फाईल जमा करवाई गई है और ना ही खासरा नं. 614 में टयूबवैल खुदवाने की कोई योजना है। अपीलांट को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उक्त कृत्य की शिकायत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के समक्ष की गई किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2, ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाह नही। आगे कथन करते हुए कहा कि मंदिर भूमि पर समय–समय पर निर्माण एवं सुधार कार्य किये जाते रहे है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम दर्ज है। साथ ही जीर्णोद्वार रसीदे भी संलग्न है जिसमें रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आगे बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राव बही भी प्रस्तुत की है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमनाथ का नाम बतौर महंत (पुजारी) दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी मंदिर श्री पालाजी के नाम होने तथा रेस्पोडेन्ट का मंदिर का महंत (पुजारी) होने व वादग्रस्त खसरा पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा उपयोग व उपभोग चला आने से रेस्पोडेन्ट का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन रेस्पोडेन्ट के पक्ष में प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा नाजायज रूप से वादग्रस्त भूमि पर ट्युबवैल खुदवाया जाता है तो रेस्पोडेन्ट को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18–07–2024 यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2005 पेज 73, आरआरडी 1965 पेज 120, आरआरटी 2019 पेज 1150, आरबीजे 2009 पेज 78, आरआरडी 1985 पेज 655, आरबीजे 2010 पेज 178 के न्याकि दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन आराजी मंदिर श्री पालाजी महाराजी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। अपीलाधीन आराजी के साथ साथ कुल 416.53 हैक्टर भूमि मंदिर श्री पालाजी महाराज के नाम खातेदारी भूमि है। यह भी निर्विवाद है कि मूर्ति शाश्वत नाबालिंग होती है इसलिए मंदिर की भूमि का प्रबंधन जरिये पुजारी (महत) किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध धारा 188 आरटीए के तहत दावा पेश कर साथ में 212 आरटीए का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ताफैसला दावा तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये कि विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है।

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट किस हैसियत से काबिज है। मंदिर का पुजारी कौन है। न्यायालय हाजा द्वारा इस तथ्यों का विनिश्चिय नही किया जाना है कि मंदिर श्री पालाजी महाराज का पुराजा (महत) कौन है। ना ही अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलांट मंदिर का पुजारी (महत) है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.12.2009 में **"ऐसे ग्रामीण अंचलो में स्थित धार्मिक स्थलो की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण, नाजायज कब्जे तथा अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों की भूमि में खातेदारी दर्ज कराने की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने की कार्यवाही करने के साथ–साथ उन्हे मुक्त कराने हेतु संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल मे लाने का कार्य करेगी।धार्मिक स्थलो की भूमि का उचित प्रबंध एवं उचित व्यक्तियों को काश्त हेतु अस्थाई रूप से आवंटित करेगी एवं इससे प्राप्त होने वाली आय को मंदिर के प्रबंध/सेवा पूजा/मंदिर का विकास/जीर्णोद्धार तथा धार्मिक आयोजनो पर उचित व्यवस्था कर प्रयुक्त करायेगी। यह समिति मंदिरों के विकास हेतु श्रद्धालुओं को भी आने के लिए प्रेरित करेगी। समिति मंदिरो में बिजली एवं पानी के कनेक्शन आदि मंदिर के नाम से लेने के लिए पूर्णतः अधिकृत होगी। इस हेतु देवस्थान विभाग से किसी भी प्रकार की अनापति प्रमाण–पत्र लेने की आवश्यकता नही होगी।"** के प्रबंध की व्यवस्था की गई है। जिसके लिए उपखण्ड स्तरीय समिति बनाई गई है।

अपीलांट द्वारा मंदिर में ट्युबवैल बनाने के लिए उपखण्ड़ स्तरीय समिति से कोई अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त नही किया गया है। उभय पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उनका कब्जा साबित होता हो। चूंकि दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें जरिये साक्ष्य गुणावगुण पर निर्णय होना शेष है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इसलिए तब तक अपीलाधीन आराजी की यथास्थित बनाई रखी जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। अपीलांट अगर मौके पर काबिज है तो उसे यथास्थिति रखने से कोई अपूर्णनीय क्षति कारित नही होगी।

उभय पक्ष की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से भी यह प्रकट नही होता है कि मंदिर की आराजी पर काबिज व्यक्ति द्वारा काश्त से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग मंदिर के विकास हेतु काम आ रहा है या व्यक्तिगत उपयोग में। क्या मंदिर की आराजी के प्रबंधन हेतु कोई रजिस्ट्रीकृत प्राधिकृत संस्था है अथवा नही। क्या इस संबंध में कोई सिविल वाद जैरकार है अथवा नही। क्या उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा मंदिर की आराजी के प्रबंधन के संबंध में कोई कार्य किया जा रहा है अथवा नही। क्यो मंदिर राजकीय है अथवा अराजकीय है। इन सभी बिन्दुओ का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन दावा के माध्यम से होना है। अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट्स/रेस्पोडेन्ट्स के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये गये है, उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ का आदेश दिनांक 18—07—2024 यथावत बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर